न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 39/2014

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड
राबडियावास तहसील-जैतारण
जिला-पाली राज.

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.24/02/2014

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 29/06/2015

वकील मय सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध गै0सा0 इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-राबडियावास, तहसील-जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 827/8 रकबा 30-00 बीघा किश्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसका प्रार्थी रेकर्डड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी खतौनी 2065 से 2068 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है । प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827/8 रकबा 30-00 बीघा खाता संख्या 259 जमाबंदी खतौनी मे दर्ज हैं व लगान भी अलग से दर्ज हे व प्रार्थी का उक्त भूमि का खाता अलग दर्ज होते हुए भी प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि की खसरा नम्बर 827/8 रकबा 30-00 बीघा का नक्शा ट्रेस मे अलग से अंकन नही हैं। नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। जिसमें प्रार्थी के खाते की भूमि मौके पर कब्जा अनुसार अलग से दर्शायी जाकर नक्शा ट्रेस मे खाता अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शे मे दर्ज किया जाना जरूरी हैं। इस हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। श्रीमान् को भू-राजस्व अधिनियम में लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर के अधिकार प्राप्त हे व खाता अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम का आदेश देने में श्रीमान् सक्षम है व उक्त भूमि का भूमि धारक राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार जैतारण के है जिसे पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाव प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै0सा0 राजस्व शिविर में उपस्थित होने से उनका कथन हैं कि भूमि का सीमांकन कर तरमीम कर दिया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 827/8 रकबा 30–00 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का सीमांकन कर तरमीम किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner